प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 28.02.2025 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1. लाठी डन्डे,सरिये लेकर वादी के घर में घुसकर मारपीट कर गाली गलौच करने,जान से मारने की धमकी देने व मारपीट में घायल वादी की मां का दौराने उपचार मृत्यु होने के 02 अभियुक्तों को थाना डिलारी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वादी श्री असलम पुत्र मजीद निवासी ग्राम बढेरा थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा लाठी डन्डे,सरिये लेकर वादी के घर में घुसकर मारपीट कर गाली गलौच करने,जान से मारने की धमकी देने व मारपीट में घायल वादी की मां का दौराने उपचार मृत्यु हो जाने के संबंध में थाना डिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना डिलारी पर मु0अ0सं0- मु0अ0सं0 - 29/2024 धारा 452/323/504/506/304 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 28.02.2025 को मुकदमा उपरोक्त में 02 वांछित अभियुक्तगण 1. रिजवान पुत्र अली हसन निवासी ग्राम बढेरा थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद 2. फिराजुल पुत्र जिलेहसन निवासी बढेरा थाना डिलारी मुरादाबाद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

2. जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटीयों को किया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत

1.थाना मूँढापाण्डे पुलिस द्वारा 04 वारंटी- 1.आकिल पुत्र उमर 2. शकील पुत्र वहीद 3. मौ0 शहीद पुत्र अहमद अली 4. उमर पुत्र बुद्धा निवासीगण ग्राम सीकमपुर पाण्डे जनपद मुरादाबाद सम्बन्धित मुकदमा सं0 1487/09 मु0अ0स0- 01/04 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मूँढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।

2.थाना कांठ, मुरादाबाद से 01 वारन्टी अभि0 अर्जुन पुत्र रामरतन सिंह निवासी ग्राम पैगम्बरपुर सुखवासीलाल थाना काँठ जनपद मुरादाबाद सम्बन्धित मु0नं0- 329/23 अ0सं0- 25/23 धारा 60 आबकारी, में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजे गये।

3. जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के 01 आरोपी को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 28.02.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 01 आरोपी को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना डिलारी - आलोक कुमार सक्सेना पुत्र कृष्ण कुमार सक्सेना निवासी कस्बा डिलारी थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।